COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

THE UTTAR PRADESH BOARD OF SECONDARY SANSKRIT EDUCATION ACT, 2000

(U.P. Act No. 32 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

No. 2464 (2) / XVII-V-I--1, (KA) 28-2000

Dated Lucknow, November 1, 2000

ARRANGEMENT OF SECTIONS

1- Short little and Commendment.
2- Difination
3- Constitution of the Board
4- Removal of member
5- Terms of Office of members
6- Filling of vacancies on expiry of term of office
7- Meetings of the Board
8- Vacancies etc not to invalidate acts and proceedings
9- Functions of the Board
10- Power of the Board
11- Recognition of an institution in any new subject or for a higher class
12- Proper utilization Of donation
13- Application of the Act
14- Power of the State Government
15- Officer and other employees of the Board
16- Power and duties of the chairman of the Board
17- Power and duties of the Board
18- Appointment and constitution of Commitees and Sub-commitees
19- Power to delegate
20- Supritendant of a center and invigilator to be public servant
21- Power of the Board to make regulations
22- Publication and previous approval of regulations made by Board
23- Scheme of Administration
24- Inspection of institution and removal of defects
25- Procedure for appointment of Head of institution, teachers and other employees
26- Conditions of Service Head of Institution, teachers, and other employes
27- Casual Vacancies
28- Power of the Board and Committee to make by-laws
29- Protection for acts done in good Faith
30- Bar of Jurisdiction of courts
31- Fund of the board
32- Accounts and audit
33- Power to remove difficulties
34- Power to make rules
35- Repeal and saving

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम संख्या - 505

रजि०नं०एल०डब्लू०/एल०पी० 896

लाइसेंस नं० डब्लू०पी०-41

लाइसेंस टू पोस्ट एन्ड कन्सेशनलपि०

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग -1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ बुधवार, 1 नवम्बर 2000

कार्तिक 10, 1922 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग- 1

संख्या 2464/सत्तह-वि-1-1 (क) 28,2000

लखनऊ, 1 नवम्बर, 2000

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् विधेयक, 2000 पर दिनाँक 31 अक्टूबर. 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राज्य में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की स्थापना और उसके संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 30 सितम्बर, 2000 को प्रवत्त हुआ समझा जायेगा |

परिभाषायें

2- इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-

(क) "परिषद" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्

(ख) केन्द्र का तात्पर्य परिषद द्वारा अपनी परीक्षायें आयोजित करने के लिए नियत की गयी या स्थान से है, और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त भू-गृहादि भी सम्मिलित है ;

(ग) "निदेशक" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(घ) "संस्था के प्रधान" का तात्पर्य उस संस्था के, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक है;

(ङ) "निरीक्षक" का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक से है और इसके अन्तर्गत इस अध्यादेश के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रधिकृत कोई अधिकारी भी है;

(च) "संस्था" का तात्पर्य परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे किसी संस्कृत विद्यालय से है जिसमें उत्तर मध्यमा तक की संस्कृत शिक्षा दी जाती है;

(छ) "अन्तरीक्षक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करे;

(ज) "मान्यता" का तात्पर्य परीषद की परीक्षाओं में बैठने के लिये अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गयी मान्यता से है;

(झ) "सम्भागीय संयुक्त निदेशक" का तात्पर्य किसी सम्भाग के प्रभारी शिक्षा संयुक्त निदेशक से है और इसमें सम्भागीय संयुक्त निदेशक के

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

समस्त कर्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित हैं;

(त्र) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है:

(ट) "केन्द्र अधीक्षक" का तात्पर्य परिषद की परीक्षाओं का संचालन और पर्यवेक्षण के लिये परिषद द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है और इसमें अपर अधीक्षक भी सम्मिलित है ;

(ठ) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जब कि वह किसी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा है,"अनुचित साधन" का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित, अंकित (रिकार्डेड), प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से, या किसी टेलीफ़ोन, वायरलेस या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य यन्त्र या जुगत से अप्राधिकृत प्रयोग से है|

परिषद् का संघटन

3- (1) ऐसे दिनाँक से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के नाम से एक परिषद स्थापित की जायेगी ।

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी ।

(3) परिषद में निम्नलिखित सदय होंगे, अर्थात :-

(क) निदेशक जो परिषद का अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम – निर्दिष्ट,दो प्रधान;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम - निर्दिष्ट, दो अध्यापक

(घ) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक विज्ञान अध्यापक ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज का, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, एक प्राचार्य या विभागाध्यक्ष;

(च) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्कृत महाविद्यालय के, राज्य सरकार द्वारा न दो प्राचार्य

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(छ) राज्य की विधान सभा द्वारा निर्वाचित उक्त सभा के दो सदस्य;

(ज) राज्य के विधान परिषद द्वारा निर्वाचित उक्त परिषद का एक सदस्य

(झ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षाविद;

(ञ) निदेशक, संस्कृत अकादमी उत्तर प्रदेश;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट उद्योग के दो प्रतिनिधि;

(ठ) निदशेक, राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश;

(ड) प्राचार्य, केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्था, इलाहाबाद;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो उप निरीक्षक संस्कृत विद्यालय;

(ण) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का कुलपति या उसका नाम निर्दशिती जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति का न हो;

(त) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के दो विभागाध्यक्ष;

(थ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट ऐसा कोई अधिकारी जो उप निदेशक शिक्षा से निम्न पंक्ति का न हो, जो राज्य-सचिव होगा;

(द) निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, उत्तर प्रदेश

(ध) उप निदेशक, संस्कृत, उत्तर प्रदेश;

4- परिषद के सदस्यों का निर्वाचन और नाम-निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यहा अधिसूचित करेगी कि परिषद का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है;

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (3) के खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन पूरा होने के पूर्व भी इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है ।

COURT BOOK

सदस्यों का हटाया जाना

4-राज्य सरकार परिषद से, पदेन सदस्य से भिन्न, किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरूपयोग किया हो कि जिससे परिषद के सदस्य के रूप में उसका बने रहना जनहित के लिये हानिकर हो;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से हाटाने से पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी ।

सदस्यों की पदावधि

5- (1) पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के दिनाँक से तीन वर्ष होगी;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे समस्त सदस्यों के पद की अवधि एक बार में छः मास से अनधिक समय के लिए इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो ।

(2) परिषद का कोई सदस्यं जिस हैसियत से वह निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जायगा ।

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों का भरा जाना

6- राज्य सरकार धारा 5 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व परिषद के पुनर्गठन के लिए कार्यवाही करेगी ।

परिषद् की बैठकें

7- (1) परिषद की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों परिषद की बैठकें के अध्यधीन रहते हुये वह अपनी बैठकों में कार्य-सम्पादन करने के लिए जिसके अन्तर्गत बैठकों की गण-पूर्ति भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जिनके व्यवस्था इस निमित्त बनायी गयी उप विधियों द्वारा की जाय ।

(2) अध्यक्ष, परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया परिषद का कोई सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) परिषद की बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और मतों के बराबर होने की दशा

COURT BOOK

में उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियाँ अविधिमान्य न होंगी

8- परिषद या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, परिषद या समिति में केवल किसी रिक्त के विद्यमान होने या उसके संघटन में कोई त्रुटि होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

परिषद् का कृत्य

9- इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

(क) संस्कृत शिक्षा में प्रथमा, मध्यमा और उत्तर मध्यमा कक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना;

(ख) ऐसी पाठ्य-पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरों का पूर्णतः या अंशताः अपवर्जन करने या अन्यथा प्रकाशन या निर्माण;

(ग) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना-

(एक) जिन्होने ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो जिसे परिषद द्वारा विशेषादि कार या मान्यता प्रदान किया गया हो; या

(दो) जो अध्यापक हों; या

(तीन) जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्हीं शर्तों के अधीन परिषद की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(घ) प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना;

(ङ) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;

(च) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना;

(छ) ऐसे शुल्क मांगना और प्राप्त करना जो विनियमों में विहित किये जाय;

(ज) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना;

(झ) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना जो परिषद अवधारित करें ;

COURT BOOK

(त्र) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट मांगना;

(ट) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना जिससे व सम्बन्धित हो;

(ठ) बजट में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि व उचित समझे, तो उन पर अभिव्यक्ति अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना;

(ड) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों का करना जो उत्तर मध्यमा तक की संस्कृत शिक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक निकाय के रूप में संघटित किए गये परिषद के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हो ;

(ढ) ऐसे समी कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का सम्पादन या कर्तव्य का पालन करने के लिये आवश्यक या सुविधाजनक अथवा आनुषंगिक हो ।

परिषद् के अधिकार

10- (1) परिषद को इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, वे सब अधिकार होंगे जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन तथा कर्तव्यों के पालन के अधीन उसकें कृत्यों के निर्वाहन तथा कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्कय हों।

(2) विशेषतया तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद के निम्नलिखित अधिकार होंगे:-

(एक) किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द करना या उसके परीक्षाफल को रोक लेना या उसे किसी भावी परीक्षा में बैठने से वर्जित कर देना, जिसे वह -

(क) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का ; या

(ख) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रार्थना - पत्र में कोई असत्य विवरण देने या महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य छिपाने का; या

(ग) परीक्षा में कपट करने अथवा प्रतिरोपण का; या

(घ) उक्त परीक्षा में प्रवेश के नियमों का उल्लंघन करके परीक्षा में प्रवेश पाने का; या

(ङ) परीक्षा के दौरान किसी घोर अनुशासनहीनता का, दोषी पाये;

(दो) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (घ) तक में उल्लिखित सभी या किन्हीं कृत्यों के लिये या परीक्षाफल की घोषणा में परिषद के किसी सदभावनापूर्ण भूल के कारण किसी अभ्यार्थी का परीक्षाफल रद्द करना;

COURT BOOK

(तीन) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये शुल्क नियत करना और उनको वसूल करने की रीति की व्यवस्था करना;

(चार) किसी ऐसी संस्था को मान्यता देने से इन्कार करना जो:-

(क) कर्मचारिवर्ग, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिए परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है अथवा इन तक नहीं पहुंचती है; या

(ख) परिषद द्वारा इस निमित्त निर्धारित मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती;

(पांच) ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेने जो कर्मचारिवर्ग, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिये परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उनके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती या जो परिषद के सन्तोषानुसार मान्यता की शर्तो का पालन नहीं करती;

(छ) नियमों या विनियमों या परिषद के निर्णयों, अनुदेशों अथवा निदेशों के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानों से प्रतिवेदन मांगना और नियमों या विनियमों या परिषद के निर्णयों, अनुदेशों या निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे रीति से उचित कार्यवाही करना जो विनियमों द्वारा नियत की जाय;

(सात) यह सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्था का निरिक्षण करना की नियत पाठयक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाय और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाये तथा उनका यथोचित उपयोग हो; और

(आठ) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में पाठ्यक्रमों के लिए भर्ती किये जा सकें ।

(3) उपधारा (1) और (2) में उल्लखित समस्त मामलों में परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

किसी नए विषय में या उच्च कक्षा के लिए किसी संस्था को मान्यता

11- धारा (10) के खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी नए विषय या विषयों के वर्ग में या किसी उच्च कक्षा के लिए किसी संस्था को मान्यता प्रदान कर सकती है|

दान का उचित उपयोग

12- जहाँ किसी संस्था द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह

COURT BOOK

नकद हो या वस्तुरूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिया किया जायेगा जिसके लिए वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में नकल अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायोगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायेगा ।

अधिनियम का लागु होना

13- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में यह किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ की ओर से; जो उत्तर मध्यमा तक संस्कृत शिक्षा प्रदान कर रही हो और राजकीय संस्कृत विद्यालय; वाराणसी या सम्पर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त हों इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समझी जायेगी और उक्त राजकीय विद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं रह जायेगी और इस अधिनियम के अपबन्धों से शासित होग;

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त राजकीय विद्यालय या विश्वविद्यालय, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व ऐसे संस्था में प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों की परीक्षा लेगा और ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करने की शक्ति होगा।

राज्य सरकार का अधिकार

14- (1) राज्य सरकार को परिषद द्वारा संचालित अथवा किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में परिषद को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिससे परिषद सम्बन्धित हो, परिषद को अपने विचार सूचित करने का अधिकारी होगा ।

(2) परिषद, राज्य सरकार को उसके पत्र पर की गई अथवा की जाने के निमित प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगा ।

(3) यदि परिषद उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करें तो परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये, अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार इस अधिनियम से सगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और परिषद ऐसे निर्देशों का पालन करेगा |

(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन तो वह परिषद को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश दिये बिना

COURT BOOK

इस आधिनियम से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिससे वह आवश्यक समझे, और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिषकार, विखण्डन या रचना कर सकती है और तद्नुसार परिषद को तत्काल सूचना देगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन, राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायेंगी,

परिषद् के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

15- इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ परिषद, उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, वह उचित समझे नियुक्त कर सकती है ।

परिषद् के अधिकार और कर्त्तव्य

16- (1) परिषद के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम का और विनियमो का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होगें।

(2) परिषद के अध्यक्ष को परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात किसी भी समय ऐसे अधियाचन जिस पर परिषद की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख हो, बैठक बुलायेगा ।

(3) परिषद के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपत्तिक स्थति में जिसमें, उसके अध्यक्ष के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित है, अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही करेगा कारेगा जो वह आवश्यक समझे और और उसके पश्चात परिषद को उसकी अगली बैठक में किये गये कार्यवाही की सूचना देगा ।

(4) परिषद के अध्यक्ष ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियम द्वारा विहित किया जाये ।

परिषद् के सचिव के अधिकार और कर्तव्य

17- परिषद का सचिव, परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और परिषद के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निदेशों के अधीन रहते हुए उसके विनिश्चयों कि निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा । वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किये जाये और विशेषतया, वह -

COURT BOOK

(क) वार्षिक प्राक्कलन और लेखा विवरण तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियों उन्ही प्रयोजनों के लिए व्यय की जाये जिनके लिए वह स्वीकृत या प्रदिष्ट की गई हों;

(ग) परिषद की बैठक के कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा; और

(घ) परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो;

(ड) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

समितियों और उपसमितियों की नियुक्त और संगठन

18- (1) परिषद निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगा और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न-भिन्न समितियाँ नियुक्त की जा सकती है अर्थात –

(क) पाठ्यक्रम समिति, (ख) परीक्षा समिति,

(ग) परिक्षाफल समिति, (घ) मान्यता समिति और

(ड) वित्त समिति

(2) ऐसी समितियों में केवल समितियों के सदस्य ही सम्मलित होंगे, और इनका गठन इस प्रकार होगा की प्रत्येक समिति में यथासम्भव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक-एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा राके :-

(क) संस्थाओं के प्रधानाचार्य या प्रधान. (ख) अध्यापक,

(ग) राज्य की विधान सभा के सदस्य, (घ)राज्य की विधान परिषद के सदस्य,

(ड) शिक्षाविद् ;

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद का कोई सदस्य इन समितियों में से एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नहीं होगा, और समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनकी परिषदकी सदस्यता के साथ समाप्त होगा ।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त, परिषद ऐसी अन्य समितियां या उपसमितियां, जो विनियमों द्वारा विहित की जायं, नियुक्त कर सकती है ।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समितियों और उप समितियों का गठन ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धन और शर्ता पर होगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जाये ।

प्रत्यायोजन का अधिकार

COURT BOOK

19- परिषद, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि विनियमो को बनाने के अधिकार के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी अधिकार का प्रयोग सभापती या ऐसी समिति या अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में और ऐसे शर्तो के अधीन रहते हुए जो उसमें निर्दिष्ट की जायं, किया जा सकता है;

केंद्र अधीक्षक और अंतरिक्षक लोक सेवक होंगे

20- केन्द्र अधीक्षक और अन्तरीक्षक भारत दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेगे। 1. 1

परिषद् का विनियम बनाने का अधिकार

21-(1) परिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ विनियम बना सकती है।

(2) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है, अर्थातः-

(क) समस्त समितियों और उपसमितियों का संगठन उनका अधिकार और कर्तव्य:-

(ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्र का प्रदान करना;

(ग) संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की शर्त;

(घ) समस्त प्रमाण-पत्रो और डिप्लोमाओं के निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ङ) वे शर्ते जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद की पैरीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे और डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के पाने के पात्र होंगे;

(च) परिषद की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क;

(छ) परीक्षाओं का संचालन;

(ज) परिषद की परीक्षाओं के सम्बन्ध में परीक्षकों, प्रश्न-पत्र, परिष्कारकों, तुलनाकारों, परिनिरीक्षको, सारिणीकारों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षकों और अन्तरीक्षकों की नियुक्ति और उनके अधिकार और कर्तव्य और उनके पारिश्रमिक की दरें;

(झ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना और मान्यता का वापस लेना ;

COURT BOOK

परिषद द्वारा बनाये गए विनियमों का

(ञ) ऐसे समस्त विषय जिनकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके ।

प्रकाशन और पूर्व अनुमोदन

22- (1) धारा 21 के अधीन विनियम केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाये जायेंगे और गजट में प्रकाशित किये जायेगें।

(2) राज्य सरकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियम को परिष्कार सहित या परिष्कार रहित अनुमोदित कर सकती है ।

प्रशासन योजना

23- (1) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश या अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासन योजना होगी, चाहे उस संस्था को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गयी हो या उसके बाद में । प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ एक प्रबन्ध समिति के संघटन की व्यवस्था की जायेगी जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध और संचालन का प्राधिकार निहित होगा | संस्था के प्रधान और उसके दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से विनियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(2) जब भी किसी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा ।

(3) विनियमों के अधीन रहते हुए, प्रशासन योजना में संस्था के प्रधान और संस्था के संबंध में प्रबन्ध समिति के अलग-अलग अधिकार, कर्तव्य और कृत्य भी बताये जायेंगे ।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिए उस समय तक अलग-अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक की विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिए अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो ।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक के अनुमोदन के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक के पूर्व अनुमोदन के लिए नहीं किया जायेगा।

COURT BOOK

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिर्वतन या अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाधिकरण अभ्यावेदन पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रशासन योजना में प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा ।

(6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबंध उपधारा (1) से उपधारा (5) के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जायेगा ।

जब भी किसी संस्था के प्रबन्धतन्त्र के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो ऐसे व्यक्ति से, जिनका सम्भागीय संयुक्त निदेशक द्वारा ऐसी जांच करने पर जैसी वह उचित समझे ऐसी संस्था के कार्यकलापों पर वास्तविक नियन्त्रण पाया जाय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति के गठन की तब तक मान्यता प्रदान की जायगी जब तक की सक्षम अधिकारिता को कोई न्यायालय अन्यथा निदेश न दें ;

प्रतिबन्ध यह कि सम्भागीय संयुक्त निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, विरोधी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

स्पष्टीकरण :- इस प्रश्न का अवधारण करने में कि संस्था पर वास्तविक नियन्त्रण किसका है, सम्भागीय संयुक्त निदेशक संस्था की निधि और उसके प्रशासन पर नियन्त्रण, उसकी सम्पत्ति से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

संस्थाओ का निरिक्षणऔर दोषों का दूर किया जाना

24 (1) निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें (संभागीय) अपनी अधिकारिता के भीतर संस्थाओं के निरीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(2) निदेशक, उप निदेशक, संस्कृत और सम्भागीय संयुक्त निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है या उसका निरीक्षण करा सकता है ।

(3) निदेशक, निरीक्षण के समय या अन्य प्रकार से पायी गयी किसी त्रुटि या कमी का निराकरण करने के लिए संस्था के प्रबन्धतंत्र को निर्देश दे सकता है ।

(4) यदि प्रबन्धतंत्र उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी निर्देश का पालन करने में असफल रहे तो निदेशक, प्रबन्धतंत्र द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् -

COURT BOOK

(क) मान्यता वापस लेने के लिए मामले को परिषद के पास अभिदिष्ट कर सकता है ; या

(ख) उपधारा (5) के अधीन संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है ।

(5) यदि उपधारा (4) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट सिफारिश के प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि संस्था के हित में यह आवश्यक है कि उस संस्था प्रबन्ध किसी प्राधिकृत नियंत्रक को सौप दिया जाय तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय एक प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और वह प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्ध समिति या अन्य किसी भी व्यक्ति को अपवर्जित कर संस्था का प्रबन्ध, जिसके अन्तर्गत संस्था की या उसमें निहित भूमि, भवन, निधि और अन्य परिसम्पत्तियां भी हैं, अपने हाथ में ले सकता है, और कभी प्राधिकृत नियंत्रक इस प्रकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले जो उसे, केवल ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां और प्राधिकार होंगे जो प्रबन्ध समिति को होते, यदि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न दिया गया होता ।

(6) उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्रथमतः एक वर्ष के अनधिक अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य की यह राय हो, कि संस्था का समुचित प्रबन्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा करना इष्टकर हो तो वह समय-समय पर आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है किन्तु इस प्रकार आदेश के प्रवर्तन के कुल अवधि जिसके अन्तर्गत उपधारा (5) के अधीन प्रारम्भिक आदेश के निर्दिष्ट अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक न हो ।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्वक संघटित कोई प्रबन्ध समिति न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक इस रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जय कि प्रबन्ध समिति विधिपूर्वक संधटित हो गयी हो ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार उपधारा (5) या इस उपधारा के अधीन दिये गये किसी आदेश को किसी समय विखण्डित कर सकती है ।

(7) कोई प्राधिकृत नियंत्रक सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में अपने द्वारा सदभावना से किये गये कृत्यों के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी न होगा ।

COURT BOOK

(8) उपधारा (5) के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था के प्रबन्ध और नियन्त्रण, जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है, से सम्बन्धित या संस्था की या उसमें निहित किसी सम्पत्ति से सम्बंधित किसी अन्य अधिनियमिति या संलेख में तत्सम्बन्धी कोई असंगत बात अन्तर्विष्ट होने पर भी प्रभावी होंगे।

(9) उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन मान्यता वापस लेने के लिए परिषद द्वारा दिये गये किसी आदेश और उपधारा (5) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

(10) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी और उनका अल्पीकरण करने वाली न होंगी।

संस्था के प्रधान अध्यापको और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया

25- इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक और अन्य कर्मचारी विनियमों के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे।

संस्था के प्रधान अध्यापको और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें

26- (1) किसी संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्त द्वारा शासित होगा जो विनियम द्वारा विहित की जाये और प्रबन्धतंत्र और ऐसे कर्मचारियों के बीच किया गया कोई करार, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से या विनियमों से असंगत हो, शुन्य होगा ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है:-

-

(क) आचार संहिता, परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्त और पदोन्नति तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्ते, जिसके अन्तर्गत जांच या अपेक्षित जांच होने पर या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए किसी दण्डिक मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण किये जाने तक निलम्बन भी है तथा निलम्बन की अवधि के लिए उपलब्धिया और नोटिस देकर सेवा का समाप्त किया जाना सम्मिलित है ;

(ख) वेतन क्रम और वेतन का भुगतान ;

(ग) एक मान्यता प्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(घ) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि और अन्य लाभ ; और
(ङ) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना ।

(3) (क) संस्था का कोई प्रधान या अध्यापक, संभागीय संयुक्त निदेशक की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना न तो सेवोन्मुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकता है न पंक्तिव्युत किया जा सकता है और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकती है और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकता है ।
(ख) संभागीय संयुक्त निदेशक प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या बढ़ा सकता है या सेवायें समाप्त करने का नोटिस को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है ;
प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड के मामलों में सम्भागीय संयुक्त निदेशक आदेश जारी करने के पूर्व संस्था के प्रधान या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक पखवारे के भीतर कारण बतावे कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय ।
(ग) कोई पक्ष खण्ड (ख) के अधीन किसी संभागीय संयुक्त निदेशक के आदेश के विरूद्ध आदेश की सूचना पाने के दिनॉक से एक माह के भीतर निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और निदेशक ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द या परिष्कृत कर सकता है और निदेशक का आदेश अन्तिम होगा ।
(4) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धतंत्र द्वारा निलम्बित नहीं किया जायगा जब तक कि प्रबन्धतंत्र की राय में,--
(क) उसके विरूद्ध आरोप इतने गम्भीर न हों कि उससे उसको पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्तिच्युत करना उचित समझा जाय ; या
(ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या
(ग) उसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए दण्ड विषयक मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक अधमता सन्निहित हो ।
(5) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तब उसकी सूचना निलम्बन के आदेश के दिनाँक से सात दिन के भीतर सम्भागीय संयुक्त निदेशक को दी जायेगी और सूचना के साथ ऐसे विवरण जो विनियमों द्वारा विहित किए जाय संलग्न होंगे और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होगे।

COURT BOOK

(6) निलम्बन का कोई आदेश जब तक कि सम्भागीय संयुक्त निदेशक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो उस आदेश के दिनांक के साठ दिन के अधिक अवधि के लिए प्रवृत्त न रहेगा और सम्भागीय संयुक्त निदेशक का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(7) यदि किसी समय सम्भागीय संयुक्त निदेशक का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना विलम्ब किया जा रहा है तो सम्भागीय संयुक्त निदेशक प्रबन्धतत्र को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस धारा के अधीन दिय गये निलम्बन के आदेश को प्रतिसंहतकर सकता है ।

आकस्मिक रिक्तियां

27- परिषद या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्यों में पदेन सदस्यों के अतिरिक्त होने वाली समस्त रिक्तियों की पूर्ति यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायेगी जिसने उस सदस्य को निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया हो जिसका स्थान रिक्त हुआ हो और किसी अकिस्मिक रिक्ति में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति, परिषद् या समिति का उस शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान में उसकी नियुक्ति हुई हो ।

परिषद् और समितियों का उपविधियां बनाने का अधिकार

28- (1) परिषद् और उसकी समितिया इस अधिनियम, नियमों और उपविनियमों से संगत उपविधियां बन सकती हैं, जिसमें

(क) उनकी बैठकों में पालन की जानी वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जानी हो, या की जा सके ;

(ग) केवल परिषद् और उसकी समितियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनके इस अधिनियम, नियमों और विनियमों द्वारा व्यवस्था की गयी हो ।

(2) परिषद और उसकी समितियां परिषद या समिति के सदस्यों को परिषद या समिति की बैठकों के दिनांक और उनमें सम्पादित किये जाने वाले कार्य की सूचना, देने और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिए उपविधियां बनायेंगी ।

COURT BOOK

(3) परिषद् समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनाई गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निर्देश दे सकती है और समिति ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करेगी ।

सदभावना से किये गए कार्य के संरक्षण

29- राज्य सरकार, परिषद या उसकी किसी समिति और उपसमिति या परिषद् या किसी समिति या उपसमिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के संबंध में नहीं की जा सकती है जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गये किसी नियम, विनियम, उपविधि, दिये गये आदेश या निर्देश के अनुसरण में सद्भावना से किया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो।

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक

30- इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में परिषद् या उसकी किसी या उपसमिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

परिषद् की निधि

31- (1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् को प्राप्त सभी धनराशियां उसमें जमा की जायेगी परिषद् के सभी भुगतान उसी से किये जायेंगे ।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों का प्रयोजन के लिए ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

32- (1) परिषद्, उचित लेखा और अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे वार्षिक विवरण पत्र तैयार करेगी।

(2) परिषद् एक वार्षिक विवरण-पत्र तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(3) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या किसी आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे |

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

COURT BOOK

33- (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के अपबन्धों के असंगत न हो, कर सकती है जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा ।

(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम बनाने की शक्ति

निरसन और अपवाद

34- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

35- (1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अपनी कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2000

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी
प्रमुख सचिव

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

No. 2464 (2) / XVII-V-I--1, (KA) 28-2000

Dated Lucknow, November 1, 2000

In Pursuance of the Provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madyamik Sanskrit Shiksha Parishad Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 31, 2000:

THE UTTAR PRADESH BOARD OF SECONDARY SANSKRIT EDUCATION ACT, 2000

(U.P. Act No. 32 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

To Provide for the establishment of a Board of Secondary Sanskrit Education in the state and for the matters connected therewith or incidental there to

IT IS HEREBY ENACTED IN THE FIFTY-FIRST YEAR OF THE REPUBLIC OF INDIA OS FOLLOWS –

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Shart little and Commendment

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000

(2) It shall be deemed to have come into force on September 30, 2000

Difination

2. In this Act unless the context otherwise requires;

(a) "Board" means the Uttar Pradesh Bard of Secondary Sanskrit Education established under sections 3;

(b) "Centre" means an institution or a place fixed by the Board for the purposes of holding its examinations and includes the entire premises attached thereto;

(c) "Director" means the Director of Secondary Education, Uttar Pradesh;

(d) "Head of the Institution" means the Principal or the Head Master, as the case may be of that institution;

(e) "Inspector" means the district inspector of Schools and includes an Officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Inspector under this Ordinance?

(f)"Institution" means a Sanskrit school imparting Sanskrit education upto Uttar Madhayama recognised by the Board;

(g) "Invigilator" means a person who assists the Superintendent of a Centre in conducting and supervising the examinations, at a Centre;

(h) "Recognition" means recognition for the purpose of preparing candidates for admission to the Board's Examination;

(i) "Regional Joint Director" means the Joint Director of Education incharge of a region and includes an officer authorised by the State Government to perform all or any of the duties of a Regional Joint Director;

(J) "regulation" means regulations made under this Act;

(k) "Superintendent of a Centre" means a person appointed by the Board to conduct and supervise examinations of the Board and includes an Additional Superintendent;

(l) "Unfair means" in relation to an examinee while answering questions in an examination, means the unauthorised help from any person directly or indirect from any material written, recorded, copied or printed in any form whatsoever, use of any unauthorised telephonic, wireless or electronic or other instrument gadget.

Constitution of the Board

3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification, appoint, there shall be established a Board to be known as the Uttar Pradesh E……. of Secondary Sanskrit Education

(2) The Board shall be a body corporate.

(3) The Board shall consist of the following members namely?-

(a) The Director, who shall be the Chairman of the Board ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(b) Two Heads of the institutions maintained by the State Government, nominated by the State Government.

(c) Two teachers of the Institutions maintained by the State Govern nominated by the State Government.

(d) One Science teacher of any degree college affiliated to sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi, nominated by the State Government.

(e) One Principal or Head of the Department of an Ayurvedic Medical College maintained by the State Government, nominated by the State Government.

(f) Two Principals of Sanskrit degree colleges maintained by the Government, nominated by the State Government

(g) Two members of the Legislative Assembly of the State elected by the Assembly.

(h) One member of the Legislative Council of the State elected by the said C……..

(i) Three academicians, nominated by the State Government.

(j) Director, Sanskrit Academy, Uttar Pradesh.

(k) Two representatives of industries nominated by the State Government.

(l) Director, State Institute of Science Education, Uttar Pradesh

(m) Principal, Central pedagogical Institute, Allahabad;

(n) Two Deputy Inspectors of Sanskrit Schools nominated by the Government,

(0) Vice-chancellor of the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi nominee, not below the rank of Reader;

(p) two Heads of the departments of Sampurnanand Sanskrit Vishwavedalya Varanasi, nominated by the State Government,

(q) An officer not below the rank of Deputy Director of Education nominated the State Government who shall be the Member Secretary,

(r) Inspector, Sanskrit pathshalayen, Uttar Pradesh

(s) Deputy Director, Sanskrit, Uttar Pradesh.

(4) As soon as may be after the election and nomination of the member of the have completed, the State Government shall notify that the Board has constituted:

Provided that a notification under this sub-section may be issued ev…. the election of the member specified in clause (g) or clause (h) of subsectic… been completed.

Removal of member

4. The State Government may remove from the board member other than an ex….-member, who in its opinion , has so flagrantly abused his position as such as men… render his continuance on the Board detrimental to the public interest;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Provided that the State Government shall, before removing a member as give him an opportunity of explanation and shall place on record reasons for his….

Terms of Office of members

5. (1) A member other than ex-officio member, shall hold office for a term of three years from the date of the notification under sub section (4) of section(3) .

Provided that the State Government may, by notification enlarge the term of the office of all such members by a period not exceeding six months at a time. So 'however that the enlargements so granted shall not in the aggregate exceed one year.

(2) A member of the Board shall cease to be such member upon his ceasing to have the capacity in which he was elected or nominated, and his scat shall thereupon, become vacant.

Filling of vacancies on expiry of term of office

6. The State Government shall take steps for the reconstitution of the board before the expiry of the term of office of members under section (5).

Meetings of the Board

7.(1) The Board shall meet at such time and place and shall subject to the provisions of subsections (2) and (3)observe such procedure in transacting the business at its meetings, including the quorum thereat as may be provided by bye-laws made In this behalf.

(2) The Chairman shall preside at the meeting of the Board In his absence, any member of the Board chosen by its members present at the meeting shall preside at the meeting.

(3) All questions arising in a meeting of the Board shall be decided by majority of votes of the members, present and voting and in case of equality of votes, the person presiding at such meeting shall have a second or casting vote.

Vacancies etc not to invalidate acts and proceedings

8. No act or proceedings of the Board or of a committee appointed by it, shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the Constitution of the Board or the committee.

Functions of the Board

9. Subject to the other provisions of this Act the Board shall have the following powers namely :-

(a) To prescribe course of instructions, text-books other books and instructional material if any, for Prathama, Madhyama and Uttar Madhyama classes in Sanskrit education.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(b) To publish or manufacture, whether to the exclusion complete or partial of others' otherwise, all or any such text-books other books or instructional material.

(c) To grant diplomas or certificates to persons, who

(i) Have pursued a course of study in an institutions admitted to the privileges or recognition by the Board

(ii) Are teachers; or

(iii) Have studied privately under conditions laid down in the regulations and have passed an examination of the Board under like conditions.

(d) To conduct examinations at the end of the Prathama, Purva Madhyama, and Uttar Madhyma Courses;

(e) To recognize institutions for the purposes of its examination;

(f) To admit candidates to Its examination;

(g) To demand and receive such fee as may be prescribed in the regulations ;

(h) To publish or withhold publication of the results of its examinations wholly or in part;

(i) To cooperate with other authorities in such manner and for such purposes as the board may determine;

(j) To call for reports from the Director on the condition of recognised institutions or of institutions applying for recognition;

(k) To submit to the State Government its views on any matter with which it is conc…..

(l) To sea the schedules of new demands proposed to be included in the relating to institutions recognised by It and to submit if it things fit, its views… for the consideration of the State Government;

(m) To do all such other acts and things as may be requisite in order to further objects of the Board as a body constituted for regulating and supervising S….. education upto Uttar Madhyama,

(n) To take all such steps as may be necessary or convenient for or may be inc….to, the exercise of any power, or the discharge of any function Or duty, confi…….. imposed on it by this Act.

Power of the Board

10. (1) The Board shall, subject to the provisions of this Act and the rules made th….. have all such powers as may be necessary for the discharge of its functions performance of its duties under this Act, or the rules or regulations made the….

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing pow…. Board shall have the powers:-

(i) To cancel an examination or withhold the result of an examination candidate, or to disallow him from appearing at any future examination found by it to be guilty of:-

(a) Using unfair means in the examination; on

(b) Making any incorrect statement or suppressing material information fact in the application form for admission to the examination.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(c) Fraud or impersonation at the examination; or

(d) Scouring admission to the examination in contravention of…. governing admission to such examination; or

(e) any act of gross indiscipline in the course of the examination;

(ii) To cancel the result of an examination of any candidate for all; or acts mentioned in sub-clauses (a) to (d) of clause (i) or for any bon…. of the Board in the declaration of the result;

(iii) To prescribe fees for the examinations conducted by it and provide manner of their realization;

(iv) To refuse recognition of an institution: -

(a) which does not fulfil, or is not in a position to fulfil, or does n… to the standards for staff, instructions, equipment or buildings… by the Board in this behalf; or

(b) which does not, or is not willing to abide by the conditions of …laid down by the Board in this behalf;

(v)To withdraw recognition of an institution not able to adhere to… provisions for, standards of staff, instructions, equipment or bu… down by the Board or on its failure to observe the conditions of re… the satisfaction of the Board;

(vi) To call for reports from the Heads of recognised institutions in res… act of contravention of the rules or regulations or decisions, ins… direction of the Board, and take suitable actions for the enforce… rules or regulations or decisions, instruction or directions of the… such manner as may be prescribed by regulations;

(vii) To inspect an recognized institution for the purpose of e… observance of the presented courses of study and that facilities fo… are duly provided and availed of; and

(viii)- To fix the maximum number of students that may be admitted… study in a recognized institution,

(3) The decision of the Board in all matters mentioned in subsections (1) and (2) shall be final.

Recognition of an institution in any new subject or for a higher class

11. Notwithstanding anything contained in clause (a) of section 10 the Board may with the prior approval of the State Government recognise an institution in any new subject or group of subjects or for a higher class

Proper utilization Of donation

12. Where a contribution or donation, either in cash or in kind is taken or received by an institution including an institution maintained exclusively by the State Government, or a local authority, the contribution or donation so received shall be utilized only for the purpose for which it was given to it and in the case of an institution maintained exclusively by the State Government, the cash contribution or donation shall be credited to personal ledger account of such institution which shall be operated in accordance with general or special orders of the State Government.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Application of the Act

13. Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or any other Utter Pradesh Act, on and from the commencement of this Act all the institutions situated in the State, immediately before such commencement including Government Sanskrit Schools, imparting Sanskrit education upto Uttar Madhyama, affiliated to or recognised by Government Sanskrit College, Varanasi or Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi shall be deemed to have been recognised by the Board under this Act and shall cease to be affiliated to or recognised by the said Government college or Vishwavidyalaya and shall be governed by the provisions of this Act.

Provided that the said Government college or Vishwavidyalaya shall hold examination of persons pursuing Prathama, Purva Madhyama or Uttar Madhyama courses of study in such institution immediately before such commencement and shall have power to grant diploma or certificate to such persons.

Power of the State Government

14. (1) The State Government shall have the right to address the Board with reference to any work conducted or done by the Board and to communicate to the Board Its views on any matter with which the Board Is concerned.

(2) The Board shall report to the State Government such action, if any as It is proposed to be or has been taken upon its communication.

(3) If the Board does not within reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act, as it may think fit and the Board shall comply with such directions.

(4) Whenever in the opinion of the State Government, it is necessary or expedient to take Immediate action, it may without making any reference to the Board under the foregoing provisions, pass such order or take such other action consistent with this Act as it deems necessary and in particular, may by such order modify or rescind or make any regulation in respect of any matter and shall for with inform the Board accordingly.

(5) No action taken by the Sale Government under sub-section (4) shall be called in question.

Officer and other employees of the Board

15. For the purpose of enabling it efficiently discharge its functions under this Act the Board may appoint such member of officers and other employees as it may with the previous approval of the State Government, think fit.

Power and duties of the chairman of the Board

16. (1) It shall be the duty of the Chairman of the Board to see that this Act and the regulations are faithfully observed and he shall have all the powers necessary for this purpose.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) The Chairman of the Board shall have power to convene meetings of the Board and shall call a meeting at any time after due notice on a requisition s… less than one fourth of the total Membership of the Board and stating …. to be brought before the meeting

(3) In any emergency, arising out of the administrative business of the Bo… the opinion of its Chairman requires that immediate action should be… Chairmen shall take such action as be deems necessary and shall th… the action taken to the Board at Its next meeting .

(4) The Chairman of the Board shall exercise such other powers as may be… by the regulations.

Power and duties of the Board

17. The Secretary of the Board shall be the Chief Executive Officer of the Board subject to the superintendence, control and directions of the Board, be resp… the execution of its decisions. He shall exercise such other powers and perform…. duties as may be prescribed by rules, and in particular, –

(a) be responsible to prepare and present the annual estimates and s…. Accounts:

(b) be responsible to ensure that all moneys are spent for the purposes fo.. are granted or allotted:

(c) be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board:

(d) shall exercise such powers as are necessary for the conduct of the ex… and

(e) shall exercise such other powers as may be prescribed by the Regulation…

Appointment and constitution of Commitees and Sub-commitees

18. (1) The Board shall appoint the following committees and different com… be appointed for different areas of the State, namely-

(a) Curriculum Committee;
(b) Examinations Committee;
(c) Results Committee;
(d) Recognition Committee and
(e) Finance Committee

(2) Such committees shall consist of the Members of the Board only a… constituted in such a way that as far as possible atleast one Member fr… the following classes are represented in each of the committees -

(a) Principal or Head of Institutions.
(b) Teachers.
(c) Member of the Legislative Assembly of the State
(d) Member of the Legislative Council of the State
(e) Academicians

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Provided that no Member of the Board shall serve on more than…. committees, and the term of Members of the committee shall cease with th… of Membership of the Board.

(3) In addition to the committees mentio…section (1) the Board may appoint such other committees or sub-com…may be prescribed by regulations.

(4) The committees and sub-committees appointed under sub-section(… constituted in such manner and on such terms and conditions as may be by regulations.

Power to delegate

19. The Board may, by general or special order, direct that any power exercisable… this Act except the power to make regulations may also be exercised by its C…. by such Committee or officer in such cases and subject to such conditions… specified therein

Supritendant of a center and invigilator to be public servant

20. (1) The Superintendent of a Centre and an invigilator shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code

Power of the Board to make regulations

21. (1) The Board may make regulations for carrying out the purposes of this Act

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers the Board may make regulations providing for all or any of the following matters namely –

(a) constitution, powers and duties of committees and sub-committees;
(b) the conferment of diplomas and certificates;
(c) the conditions of recognition of institutions;
(d) the courses of study to be laid down for all certificates and diplomas;
(e) the conditions under which candidates shall be admitted to the examinations of the Board and shall be eligible for diplomas and certificates;
(f) the fees for admission to the examination of the Board;
(g) the conductor examinations;
(h) the appointment of examiners, moderators collators, scrutinisers, Tabulators, centre inspectors, Superintendents of Centres and invigilators and their duties and Powers in relation to the Board's examinations and the rates of their remuneration;
(i) the admission of institutions to the privileges of recognition and the withdrawal of recognition;
(j) all matters which are to be, or may be, provided for by

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Regulations;

Publication and previous approval of regulations made by Board

22. (1) Regulations under section 21 shall be made only with the previous approval of the State Government and shall be published in the Gazette.

(2) The State Government may approve any such regulation proposed by the Board with or without modification.

Scheme of Administration

23. (1) Notwithstanding anything contained in any law, document or decree or order of a court or other instrument, there shall be a Scheme of Administration for every institution, whether recognized before or after the commencement of this Act. The Scheme of Administration shall amongst other matter provide for the constitution of a Committee of Management vested with authority to manage and conduct the affairs of the institution. The Head of the institution and two teachers thereof, who shall be selected by rotation according to seniority in the manner to be prescribed by regulations, shall be ex-*officio* members of the Committee of Management with a right to vote.

(2) No member of the Committee of the Management shall either attend the meeting of the Committee or exercise his right to vote whenever a charge concerning his personal conduct is under discussion.

(3) The Scheme of Administration shall also describe subject to any regulation the respective powers, duties and functions of the Head of the institution and Committee of Management in relation to the institution.

(4) Where more than one recognized institutions are maintained by a body or authority there shall be separate Committee of Management for each institution unless otherwise provided in the regulations for any class of institutions.

(5) The scheme of Administration of every institution shall be subject to the approval of the Director and not amendment to, or change in the Scheme of, Administration shall be made at any time without the prior approval of the Director.

Provided that where the Management of an institution is aggrieved by an order of the Director refusing to approve an amendment or change in the Scheme of Administration, the State Government, on the representation of the manager may, if it is satisfied that the proposed amendment or change in the Sche…. Administration is in the interest of the institution, order the Director to approve… same, and thereupon the Director shall act accordingly.

(6) Every recognized institution shall be managed in accordance with the Sche… Administration framed under and in accordance with sub-section (1) to sub-section…

(7) Whenever there is a dispute with respect to the Management of an inst… persons found by the Regional Joint Director upon such enquiry as he deemes… be in actual control of its affairs may, for the purposes of this Act

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

be recognigze… constitute the Committee of Management of such institution until a court of com… jurisdiction directs otherwise :

Provided that the Regional Joint Director shall before making an order this sub-section, afford reasonable opportunity to the rival claimants to representations in writing.

Explanation : In determining the question as to who is in actual control affairs of the institutions the Regional Joint Director shall have regard to the c… over the funds of the institution and over the administration, the receipt of in… from its properties, the scheme of Administration approved under sub-sect… and other relevant circumstances :

Inspection of institution and removal of defects

24 (1) Inspector, Sanskrit Pathshalayen, Uttar Pradesh Allahabad or Deputy insp… Sanskrit Pathshalayen (Regional), shall be competent authority for the inspec… institutions within his jurisdiction

(2) The Director, Deputy Director, Sanskrit and Regional Joint Director or any… authorized by him may also inspect an institution or cause the same to be insp…

(3)The Director may direct the Management of an institution to remove any de… deficiency found on inspection or otherwise

(4) Where the Management fails to comply with any direction made under sub-section (2), the Director may, after considering the explanation or representation… given by the Management -

(a) refer the case to the Board for withdrawal of recognition, or

(b) recommend to the State Government to proceed against the institution sub-section (5)

(5) If on receipt of a recommendation referred to in clause (b) of sub-section… (State Government is satisfied that in the interest of the institution it is nec… that the Management of that institution be handed over to an Authorized Cont… the State Government may, by order for such period as may be specified order, appoint an authorized Controller and the Authorized Controller ma… Over the Management of the institution including Management of the land, …. funds and other assets belonging to or vested in the institution exclusion of the Committee of Management or any other person and wh… the Authorizes Controller so takes over the Management, he shall, subject… such restrictions as the State Government may impose have, in relation…Management of the institution, all such powers and authority as the Commi… Management would have if no order were made under this sub-section.

(6) An order under sub-section (5) shall be operative for a period not exceed… year in the first instance :

Provided that if the State Government is of opinion that is expedient g… in order to continue to secure the proper management of the institution it ma… time to time extend the operation of the order for such period, not exceeding…year at a time as it may specify, so however that the total period

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

of operation of the order including the period specified in the initial order under sub-section (5) does not exceed five years.

Provided further that it at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully constituted Committee of Management of the institution, the Authorized Controller Shall continue to function as such until the State Government is satisfied that the Committee of Management as begin lawfully constituted:

Provided also that the State Government may at any time revoke an order made under sub-section (5) or under this sub-section.

(7) No Authorizes Controller shall be personally liable for acts done by him, in good faith in performance of duties entrusted to him.

(8) Any order made under sub-section (5) shall haw effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument, relating to the Management and control of the institution, including any scheme of Administration or-relating to the property belonging to or vested in the institution.

(9) No order made by the Board withdrawing recognition under clause (a) of sub-section (4) and no order made under sub-section (5) shall be called in question in any court.

(10) The powers conferred by this section shall be in addition to and not in derogation of, any powers conferred on the State Government or the Authorized Controller under any other law for the time being in force.

Procedure for appointment of Head of institution, teachers and other employees

25. Subject to the provisions of this Act, the Head of institution and teachers and other employees of an institution shall be appointed in accordance with the regulations.

Conditions of Service Head of Institution, teachers, and other employes

26. (1) Every person employed in an institution shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by regulations and any agreement between the Management and such employees in so for as it is inconsistent with the provisions of this Act or with the ragulations, shall be void.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1) the regulations may provide for,-

(a) the code of conduct the period of probation, the conditions of confirmation and the procedure and conditions for promotion and punishment including suspension pending or in contemplation of inquiry or during the pendency of investigation, inquiry of trial in any criminal case for an offence involving moral turpitude and the emoluments for the period of suspension and termination of Service with notice;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(b) the scales of pay and payment of salaries;
(c) transfer of service from one recognized Institution to another;
(d) grant of leave and provident fond and other benefits; and
(f) maintenance of record of work and service

(3) (a) No Head of institution or teacher may be discharged or removed or dismissed from service or reduced in rank or subjected to any diminution in emoluments, or served with notice of termination of service except with the prior approval in writing of the Regional Joint Director.

(b) Regional Joint Director may approve or disapprove of reduce or enhance the punishment or approve or disapprove of the notice for termination of service proposed by the Management.

Provided that in the cases of punishment, before passing o…
Regional Joint Director shall give an opportunity to the Head of inst… the teacher to show cause within a fortnignt of the receipt of the n… the proposed punishment should not be inflicted.

(c) Any party may prefer an appeal to the Director against an order of the Joint Director under clause (b) within one month from the date of comm….of the order to that party and the Director may, after such further enqi…considers necessary, confirm, set-aside or modify the order and ….passed by the Director shall be final.

(4) No Head of institution or teacher shall be suspended by the Manageme… in the opinion of the Management,-

(a) the charges against him are serious enough to merit his dismissal or reduction in rank; or
(b) his continuance in office is likely to hamper or prejudice the c… disciplinary proceedings against him; or –
(c) any criminal case for an offence involving moral turpitude against h… investigation, enquiry or trial.

(5) Where any Head of institution or teacher is suspended by the Com… Management it shall be reported to the Regional Joint Director within s… from the date of order of suspension and the report shall contain such pa… may be prescribed by regulations and accompanied by all relevant docu…

(6) No such order of suspension shall, unless approved in writing by the Reg… Director, remain inforce for more than sixty days from the date of such ord… order of the Regional Joint Director shall be final and shall not be question…court.

(7) If at any time the Regional Joint Director is satisfied that disciplinary p… against the Head of institution or teacher are being delayed for no fault o… of institution or the teacher, the Regional Joint Director may after affording… to the Management to make representation, revoke an order of suspense… under this section.

Casual Vacancies

27. All casual vacancies among the Members, other than ex-*officio* Members, of the B… committee appointed by the Board, shall be filled as soon as may

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

be, by the per…. who elected, or nominated the member whose place has become vacant and elected or nominated to a casual vacancy shall be a member of the Board or comm…. residue of the term for which the person whose place he fills would have been a m…

Power of the Board and Committee to make by-laws

28. (1) The Board and its Committees may make bye-laws consistent with this rules and the regulations, -

(a) laying down the procedure to be observed at their meetings and of members required to form a quorum;

(b) providing for all matters which are to be or may be provided for b…

(c) providing for all matters solely concerning the Board and its com… not provided for by this Act the rules and the regulations.

(2) The Board and its Committees shall make bye-laws providing for the givi… to the members of the Board or Committee, of the dates of meeting of… Committee, and of the business to be considered at meetings, and for of a record of the proceedings of meetings.

(3) The Board may direct amendment or recession of any bye-law Committee under this section and the Committee shall give effect, direction.

Protection for acts done in good Faith

29. No suit prosection or other legal proceedings shall lie against the State Government the Board or any of its Committees and subcommittees or any member of the Board or a Committee or subcommittee or any other person in respect of anything Which is, in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, regulation, bye Law order or direction made thereunder.

Bar of Jurisdiction of courts

30. No order or decision made by the Board or any of its committees or sub-committees in exercise of the powers conferred by or under this Act shall be called in question in any court.

Fund of the board

31. (1) The Board shall have its own fund, and all receipts of the Board shall be credited thereto and all payments for the Board shall be made therefrom.

(2) Subject to any general or special offer of the State Government, and subject to the provisions of this Act, the Board shall have the power to spend such sum as it may think fit on subjects or for purposes authorised by this Act.

Accounts and audit

32. (1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as the State Government may, by general or special order, specify

(2) The Board shall prepare an annual financial statement and submit it to the State Government for its approval.

(3) The accounts of the Board shall be audited by such authority as the State Government may, by general or special order, specify.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(4) The accounts of the Board as certified by the audit authority together with the audit report there on shall be forwarded annually to the State Government.

Power to remove difficulties

33. (1) If any difficulty arises in giving affect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appears to It to be necessary or expedient, for removing the difficulty.
(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiry of the period of two years from the commencement of this Act.
(3) The provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply to the order made under sub-section (1) as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Power to make rules

34. The State Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal and saving

35. (1) The Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

U.P.Ordinance no 15 of 2000

By order
Y.R. TRIPATHI
Pramukh Sachiv